न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) सीकर
पीठासीन अधिकारी :– कुणाल राहड़, आर0ए0एस0

जी0सी0एम0एस0 सं0 2023/119
पत्रावली सं :: 98/2023/दावा

मान कंवर बनाम बिल्लू कंवर आदि

उपस्थित :–
1. श्री सोहनलाल चौधरी, वकील प्रार्थी/प्रति0सं08 की ओर से।
2. श्री बजरंगलाल शर्मा, अप्रार्थी/वादिया की ओर से।

आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी तथा सपठित धारा 151 सीपीसी।

निर्णय दिनांक :: 06.12.2024

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थी/ प्रति0सं0 8 की ओर से आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी तथा सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर निवेदन किया है कि वादिया द्वारा वाद पत्र की मद सं0 1 में वर्णित विवादित भूमियों के ख0नं0 मय रकबा का उल्लेख करते हुए उन्हें वादिया एंव प्रति0सं0 1 ता 5 की पैत्रिक आराजी होना अभिकथित करते हुए वाद की मद सं0 2 में एक वंशावली दर्शित करते हुए वाद की मद सं0 3 में विवादित भूमियों में अपने पिता भंवरसिंह की 1/2 हिस्से की खातेदारी होना अभिकथित करके वादिया एंव प्रति0सं0 1 ता 3 का अपने पिता के जीवनकाल में ही काबिज काश्त होना अभिकथित कर वाद की मद सं0 4 में उपरोक्त भूमियों में हिन्दू सहदायकी के नियमानुसार वादिया एंव प्रति0सं0 1 ता 3 का भी 1/5 हक, हिस्सा बनना अभिकथित कर वादिया एंव प्रति0सं0 1 ता 3 के हक हिस्से की उद्घोषणा किया जाना आवश्यक एंव न्यायोचित है और इसी आधार पर वाद पत्र की मद सं0 10 की उप मद क में यह मुख्य अनुतोष चाहा गया कि वाद पत्र में वर्णित भूमियों में से वादिया एंव प्रति0सं0 1 ता 3 को उनके हक हिस्से का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जावे। मुख्य अनुतोष के साथ वादग्रस्त भूमि के बंटवारे एंव स्थाई निषेधाज्ञा के आश्रित अनुतोष की मांग वादिया द्वारा वाद में की गई है। वाद की मद सं0 5 में स्वंय वादिया ने यह अभिकथन किया कि वादिया के पिता भंवरसिंह के नाम अंकित उपरोक्त 1/2 हक, हिस्से के संबंध में एक विक्रय पत्र दिनांक 22.1.1994 को प्रति0सं0 6 व 7 के हक में निष्पादित एंव पंजीकृत हुआ है।

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

Scanned with CamScanner

वादिया द्वारा वाद की मद सं0 6 में यह अभिकथित किया कि विक्रय पत्र दिनांकित 22.1.1994 के आधार पर प्रतिवादी सं0 6 व 7 ने वादिया के पिता भंवरसिंह के स्थान पर उनके नाम दर्ज 1/2 हिस्से की संपूर्ण की खातेदारी अपने नाम करवाली तथा गलत रूप से खातेदारी के आधार पर उन्होंने 1/2 हिस्सा संपूर्ण प्रति0सं0 8 दीनसिंह पुत्र सज्जनसिंह के नाम पर नुमायशी तौर पर हस्तान्तरित कर दी तथा उक्त भूमियां राष्ट्रीय राजमार्ग पर आ जाने तथा भावों में अत्यधिक वृद्धि हो जाने के कारण उसके हौसले बुलन्द हो गये वो वादग्रस्त भूमियों से वादिया एंव प्रति0 सं0 1 ता 3 को बलात रूप से बेकाबिज करने तथा अन्यत्र हस्तांरित करने के प्रयास में लगे हुए है,जिनका उन्हें कोई कानूनी हक अधिकार नहीं है। इसलिए उन्हें जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

वादिया द्वारा वाद पत्र में किये गये समग्र अभिकथनों के अवलोकन से यह तथ्यात्मक स्थिति बनती है कि उक्त वाद में वर्णित भूमियों के 1/2 हिस्से का खातेदार, काश्तकार वादिया का पिता भंवरसिंह पुत्र गुमानसिंह था, जिसके द्वारा दिनांक 22.1.1994 को अपने संपूर्ण हक, हिस्से के संबंध में एक विक्रय पत्र प्रति0सं0 6 व 7 के पक्ष में निष्पादित एंव पंजीकृत करवा दिया । (जिसे वादिया द्वारा फर्जी होना वाद पत्र में अभिकथित किया) परन्तु वाद पत्र में इस निमित कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। विक्रय पत्र 22.1.1994 के आधार पर 1/2 हिस्से की खातेदारी प्रति0सं0 6 व 7 के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित हो गयी तथा उनके द्वारा उक्त 1/2 हिस्सा प्रति0सं0 8 दीनसिंह को हस्तांतरित कर दिया और वर्तमान में प्रति0सं0 8 उक्त हिस्से का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार चला आ रहा है। उत्तराधिकार अधिनियम में सन् 2005 में हुए संशोधन से पूर्व पुत्री को संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायिक सदस्य मान्य नहीं किया गया था। उक्त संशोधन में यह भी कानूनी प्रावधान किया था कि संशोधन के पश्चात् पुत्री को भी सहदायित सदस्य मान्य किया जाता है। परन्तु पिता द्वारा 2004 से पूर्व किये गये हस्तान्तरण प्रलेख इस संशोधन में प्रभावी नहीं माने जायेगे और उक्त हस्तान्तरण प्रलेख वैध मान्य होगे। वादिया द्वारा जिस भूमि को अपनी सहदायिक संपदा होना अभिकथित करते हुए प्रस्तुत वाद में जो अनुतोष चाहा गया है। वह प्रस्तुत वाद में वर्णित विक्रय पत्र 22.1.1994 के कायम रहते हुए प्रदत्त नहीं किया जा सकता है। वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद में वर्णित विक्रय पत्र दिनांकित 22.1.1994 जिसे वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद में फर्जी होना अभिकथित किया जा रहा है, को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त करवाये बिना प्रस्तुत वाद चलने योग्य नही है तथा विधि द्वारा वर्जित है।

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

Scanned with CamScanner

प्रार्थी/प्रति0सं0 8 द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार कर वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण इसी स्तर पर खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

अप्रार्थी/वादीनी ने आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी तथा सपठित धारा 151 सीपीसी का जवाब पेश कर निवेदन किया है कि मद सं0 1 व 2 जवाब की मोहताज नहीं है। मद सं0 3 जिस प्रकार से तहरीर तकमील की गई है, गलत होने से अस्वीकार है। चूंकि प्रस्तुत वाद में उद्घोषणा चाही हुई है तथा उक्त तथाकथित फर्जी विक्रय पत्र को निरस्त करने का अधिकार क्षेत्र सिविल न्यायालय का होने के कारण उसके लिए अलग से चाराजोही की गई है। विधिक सिद्धांत कि कोई भी व्यक्ति अपने से अच्छा स्वत्व हस्तान्तरित नहीं कर सकता है। इस कारण प्रार्थी/प्ररिवादी सं0 8 ने अपनी रिकॉर्डेड खातेदारी फर्जी व नुमाईशी दस्तावेज विक्रय पत्र दिनांकित 22.01.1994 के आधार पर ही जता रहा है, जबकि उक्त विक्रय पत्र ही शुन्य की श्रेणी में शुमार होता है। उक्त के बाद के सभी संव्यवहार स्वतः शुन्य की श्रेणी में शुमार हो जाते है। इस प्रकार केवल मात्र रिकॉर्डेड खातेदार होना मात्र ही स्वामित्व का पुख्ता सश्त नहीं होता है। नामान्तरण मात्र एक फिस्कल कार्यवाही है जो लगान देने वाले को दर्शाती है, स्वामित्व के बारे में मात्र खातेदारी होना प्रमाण नहीं होता है। मद सं0 4 गलत होने से अस्वीकार है। चूंकि उक्त मद में निर्णय का निर्वचन गलत रूप से किया जाकर वादी के वाद को निराधार व विधि विरूद्ध बताया गया है जबकि उक्त निर्णय में 2004 से पूर्व के हस्ताक्षर के बारे में विवेचना की गई। परतु आवेदन में निर्वचन ही गलत कर उक्त हस्तान्तरण विक्रय पत्र जो कि फर्जी तरीके से निष्पादित करवाया गया होने से उसको वैध हस्तांतरण की परिधि में नहीं माना जा सकता है। इस करण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

बहस वकील प्रार्थी/प्रति0 सं0 8 सुनी गई। वकील वादिया द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की। बहस पर मनन किया। बहस के दौरान वकील प्रार्थी/प्रति0सं0 8 एंव वकील वादिया ने आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी तथा सपठित धारा 151 सीपीसी तथा जवाब आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एंव आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी तथा सपठित धारा 151 सीपीसी का अवलोकन किया गया।

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

Scanned with CamScanner

पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि वाद में वर्णित भूमियों के 1/2 हिस्से का खातेदार, काश्तकार वादिया का पिता भंवरसिंह पुत्र गुमानसिंह थे, जिनके द्वारा दिनांक 22.1.1994 को अपने संपूर्ण हक, हिस्से के संबंध में एक विक्रय पत्र प्रति0सं0 6 व 7 के पक्ष में निष्पादित एंव पंजीकृत करवा दिया । उक्त विक्रय पत्र 22.1.1994 के आधार पर 1/2 हिस्से की खातेदारी प्रति0सं0 6 व 7 के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित हो गयी तथा उनके द्वारा उक्त 1/2 हिस्सा प्रति0सं0 8 दीनसिंह को हस्तांतरित कर दिया और वर्तमान में प्रति0सं0 8 उक्त हिस्से का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार चला आ रहा है। उत्तराधिकार अधिनियम में सन् 2005 में हुए संशोधन से पूर्व पुत्री को संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायिक सदस्य मान्य नहीं किया गया था। उक्त संशोधन में यह भी कानूनी प्रावधान किया था कि संशोधन के पश्चात् पुत्री को भी सहदायित सदस्य मान्य किया जाता है। परन्तु पिता द्वारा 2004 से पूर्व किये गये हस्तान्तरण प्रलेख इस संशोधन में प्रभावी नहीं माने जायेगे और उक्त हस्तान्तरण प्रलेख वैध मान्य होगे। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 4766/2001 उनवान *Ramesh B. Desai and Others Vs. Bipin Vadilal Mehta and Others,* में दिनांक 11.07.2006 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के उपबन्ध–डी के तहत विधि द्वारा वर्जित (Barred by Law) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

> ***The plaint without addition or subtraction must show that it is barred by any law to attract application of Order 7 Rule 11 CPC. The principle is, therefore, well settled that in order to examine whether the plaint is barred by any law, as contemplated by sub-rule (d) of Order VII Rule 11 CPC, the averments made in the plaint alone***

सहायक कलक्टर (मु०) सीकर

Scanned with CamScanner

have to be seen and they have to be assumed to be correct. It is not permissible to look into the pleas raised in the written statement or to any piece of evidence.

वादिया द्वारा जिस भूमि को अपनी सहदायिक संपदा होना अभिकथित करते हुए प्रस्तुत वाद में जो अनुतोष चाहा गया है। वह प्रस्तुत वाद में वर्णित विक्रय पत्र 22.1.1994 के कायम रहते हुए प्रदत्त नहीं किया जा सकता है। वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद में वर्णित विक्रय पत्र दिनांकित 22.1.1994 जिसे वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद में फर्जी होना अभिकथित किया जा रहा है, को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त करवाये बिना प्रस्तुत वाद चलने योग्य नही है तथा विधि द्वारा वर्जित है। उक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय प्रार्थी/प्रति0सं0 8 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी तथा सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार करना न्यायहित में उचित समझता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 8 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी तथा सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वाद वादिया खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 06.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु0) सीकर

Scanned with CamScanner